उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1
संख्या बी–1–4579/दस–2007–16/97
लखनऊ : दिनाँक : 06 दिसम्बर, 2007

समस्त वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग

विभिन्न निगमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त महानुभावों को मानदेय/भत्ते एवं अन्य सुविधायें विषयक शासनादेश संख्या–बी–1–4457/दस–2007–16/97 दिनाँक 19 नवम्बर, 2007 की प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित है, जिसके प्रस्तर–2 में यह उल्लेख किया गया है कि गैर सरकारी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों में से उन्हीं महानुभावों को नियत वेतन/मानदेय व उपरोक्त सुविधायें अनुमन्य होंगी जिनके सम्बन्ध में शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से आदेश जारी किये जांय ।

इस सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने की अपेक्षा की गयी है कि सम्बन्धित विभागों द्वारा शासनादेश जारी करने हेतु वित्त विभाग को भेजी जाने वाली पत्रावलियों का वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त सहमति देने से पूर्व प्रशासकीय विभाग को मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने का परामर्श दिया जाय । मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शासनादेश के आलेख्य पर वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग द्वारा सहमति अंकित की जाय ।

संलग्नक : यथोपरि ।

(आर.के.वर्मा)
विशेष सचिव, वित्त ।

wip/epl/en5127